संचिका सं0—35/SIDBI—22/2023 694
22-01-2024

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषय :— सिडबी क्लस्टर विकास निधि (SCDF) के कार्यान्वयन हेतु मानक संचालन प्रकिया (SOP) निर्धारित करने के संबंध में।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडब्री) के अन्तर्गत सिडबी क्लस्टर विकास निधि (SIDBI Cluster Development Fund- SCDF) स्थापित है, जिसके तहत MSME क्लस्टर अन्तर्गत आधारभूत संरचना के विकास हेतु राज्य सरकारों को सिडबी द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

2. इस निधि के तहत वित्त पोषण हेतु पात्र गतिविधियों को तीन व्यापक प्रक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, जिसके तहत परियोजना लागत का 80 से 95 प्रतिशत ऋण भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जा सकेगा।

क0 सं0	पात्र गतिविधियां	ऋण पात्रता (परियोजना लागत का प्रतिशत)
(क)	MSME इको—स्पेस के अंतर्गत औद्योगिक एवं कृषि सम्बद्ध प्रक्षेत्र की परियोजनाएँ (Industrial and Agri-allied sectors in the MSME eco-space)	95%
(ख)	MSME क्लस्टर एवं उसके आस—पास सामाजिक प्रक्षेत्र की परियोजनायें (Social Sector Projects in and around MSME clusters)	85%
(ग)	MSME क्लस्टर के लिए संपर्कता (Connectivity to MSME cluster)	80%

3. इस निधि के तहत प्रत्येक संवितरण को लेखांकन के उद्देश्य से एक अलग ऋण माना जाएगा और उस पर देय ब्याज दर (Fixed Interest Rate) बैंक दर से 1.5 प्रतिशत कम होगा।

4. इस निधि के तहत प्राप्त होने वाला ऋण संविधान के अनुच्छेद 293(3) के प्रावधानों के अधीन होगा। अर्थात यह किसी वित्तीय वर्ष के दौरान बाजार और वित्तीय संस्थाओं से राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले ऋण की निर्धारित सीमा के अंतर्गत होगा।

5. प्रत्येक वर्ष भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा राज्यों के लिए मानक आवंटन (Normative Allocation) निर्धारित किया जाएगा।

6. इस निधि के तहत लिए गए ऋण की अदायगी (Repayment) ऋण आहरण की तिथि से समान वार्षिक किस्तों में सात वर्षों में की जायेगी, जिसमें अधिकतम 36 माह का ऋण अधिस्थगन अवधि (Grace Period) भी शामिल है। ब्याज की अदायगी त्रैमासिक किया जायेगा।

7. राज्य के MSME क्लस्टर के अन्तर्गत आधारभूत संरचना के विकास के लिए विभिन्न विभागों से ऋण प्राप्ति हेतु सिडबी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में परियोजना प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त परियोजना प्रस्ताव की समीक्षा विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता मे गठित प्रोजेक्ट स्कीनिंग समिति द्वारा की जायेगी। यह समिति इस प्रकार होगी :–

(i)	विकास आयुक्त	– अध्यक्ष
(ii)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग	– सदस्य सचिव
(iii)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग विभाग	– सदस्य
(iv)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, संबंधित विभाग	– सदस्य

इस समिति द्वारा ,समय–समय पर सिडबी क्लस्टर विकास निधि (SCDF) की परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं प्रगति की भी समीक्षा की जायेगी।

8. प्रोजेक्ट स्कीनिंग समिति की अनुशंसा के उपरांत वित्त मंत्री के अनुमोदनोपरांत परियोजना प्रस्ताव को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को भेजा जा सकेगा एवं तदनुसार विभागों द्वारा परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से प्राप्त की जायेगी। सक्षम प्राधिकार वही होंगे जो वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3758 दिनांक–31.05.2017 की कंडिका–4 (क) में वर्णित है।

9. इस निधि के तहत प्रति वर्ष अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत भारत सरकार से ऋण प्राप्त किये जाने संबंधी सहमति प्राप्त किया जायेगा।

10. सिडबी क्लस्टर विकास निधि (SCDF) के तहत सभी गतिविधियों के लिए वित्त विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। इस योजना के कियान्वयन के संबंध में वित्त विभाग द्वारा भविष्य में आवश्यकतानुसार दिशा–निर्देश निर्गत किया जा सकेगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन)
22/1/2024

ज्ञापांक–35/SIDBI–22/2023 694 **पटना, दिनांक–** 22-01-2024

प्रतिलिपि– प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन)
22/1/2024

ज्ञापांक–35/SIDBI–22/2023 694 **पटना, दिनांक–** 22-01-2024

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/पर्यटन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ऊर्जा विभाग/कृषि विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/उद्योग विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/श्रम संसाधन विभाग/पंचायती राज विभाग/योजना एवं विकास विभाग/सहकारिता विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन)
22/1/2024

ज्ञापांक–35/SIDBI–22/2023 694 **पटना, दिनांक–** 22-01-2024

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन)
22/1/2024

ज्ञापांक–35 / **SIDBI**–22 / 2023 694 पटना, दिनांक– 22-01-2024

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/1/2024

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन)